

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं० : 52/2021

1. रघुवीर पुत्र श्योचंद जाति जाट निवासी शिवदानपुरा त० भादरा। :-वादी

ब न अ म

1. श्योचंद पुत्र दल्लूराम जाति जाट निवासी शिवदानपुरा त० भादरा।
2. जयसिंह पुत्र श्योचंद जाति जाट निवासी शिवदानपुरा त० भादरा।
3. रामकुमार पुत्र श्योचंद जाति जाट निवासी शिवदानपुरा त० भादरा।
4. सावित्री देवी पुत्री श्योचंद जाति जाट निवासी शिवदानपुरा त० भादरा।
5. लिछमा देवी पुत्री श्योचंद जाति जाट निवासी शिवदानपुरा त० भादरा।
6. मोहरा पुत्री श्योचंद जाति जाट निवासी शिवदानपुरा त० भादरा।
7. सुमित्रा पुत्री श्योचंद जाति जाट निवासी शिवदानपुरा त० भादरा।
8. सोनियां पुत्री श्योचंद जाति जाट निवासी शिवदानपुरा त० भादरा।
9. आरएमजीबी शाखा अजीतपुरा जरिये शाखा प्रबंधक।
10. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री धर्मपाल बेरवाल एवं वकील प्रतिवादीगण श्री सतवीर बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा शिवदानपुरा के खाता सं० 131/125 के खसरा सं० 91 की 1.6700है०, खसरा सं० 336 की 13.4050है०, खसरा सं० 362/287 की 0.7080है०, खसरा सं० 363/287 की 2.5290है०, खसरा सं० 364/287 की 0.7080है० कुल 19.0200है० में से प्रतिवादी सं० 1 श्योचंद का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी सं० 2 व 3 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। चूंकि प्रतिवादी सं० 1 व 4 ता 8 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं० 2 व 3 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी रघुवीर व प्रतिवादी सं० 2 जयसिंह, प्रतिवादी सं० 3 रामकुमार को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 24.06.21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक सत्यनारायण)

R.A.S.

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)

भादरा, जिला हनुमानगढ



0न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीछरीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएम

प्रकरण सं० : 52/2021

1. रघुवीर पुत्र श्योचंद जाति जाट निवासी शिवदानपुरा त० भादरा। :-वादी

ब ना म

1. श्योचंद पुत्र दल्लूराम जाति जाट निवासी शिवदानपुरा त० भादरा।
2. जयसिंह पुत्र श्योचंद जाति जाट निवासी शिवदानपुरा त० भादरा।
3. रामकुमार पुत्र श्योचंद जाति जाट निवासी शिवदानपुरा त० भादरा।
4. सावित्री देवी पुत्री श्योचंद जाति जाट निवासी शिवदानपुरा त० भादरा।
5. लिछमा देवी पुत्री श्योचंद जाति जाट निवासी शिवदानपुरा त० भादरा।
6. मोहरा पुत्री श्योचंद जाति जाट निवासी शिवदानपुरा त० भादरा।
7. सुमित्रा पुत्री श्योचंद जाति जाट निवासी शिवदानपुरा त० भादरा।
8. सोनियां पुत्री श्योचंद जाति जाट निवासी शिवदानपुरा त० भादरा।
9. आरएमजीवी शाखा अजीतपुरा जरिये शाखा प्रबंधक।
10. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज०काश्त०अधि० 1955

उपस्थिति : वकील श्री धर्मपाल बेरवाल: वादी

वकील श्री सतवीर बैनोवाल : प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक : 24.06.21

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा शिवदानपुरा के खाता सं० 131/125 के खसरा सं० 91 की 1.6700है०, खसरा सं० 336 की 13.4050है०, खसरा सं० 362/287 की 0.7080है०, खसरा सं० 363/287 की 2.5290है०, खसरा सं० 364/287 की 0.7080है० कुल 19.0200है० वारानी खातदेरी प्रतिवादी सं० 1 श्योचंद के नाम से खातेदारी दर्ज है। जो पहले प्रतिवादी सं 1 के पिता दल्लूराम की खातेदारी हुआ करती थी। दल्लूराम से विरासतन उक्त भूमि को प्रतिवादी सं० 1 श्योचंद ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एवं प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 8 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी सं० 9 को वकील वादी ने अंकित किया। प्रतिवादी सं 10 स्टेट की ओर से जवाब दावा पेश किया गया। प्रतिवादीगण गण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु रघुवीर पुत्र श्योचंद जाति जाट निवासी शिवदानपुरा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत गडडा प्रदर्श 1, सत्यप्रतिलिपि रोही शिवदानपुरा संवत 2072-75 खाता सं० 131/125 प्रदर्श 2,

सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम बुढेर संवत् 2077-80 खाता सं० 93/80 प्रदर्श 3, जमाबंदी भूप्रबंध विभाग खाता सं० 1 प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादाताई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पत्ति साबित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने शिवदानपुरा, बुढेर के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व वारिस प्रमाण पत्र मध्य शपथ पत्र प्रदर्श 1 प्रदर्शित करवाये। प्रदर्श 1 में वारिसप्रमाण पत्र में श्योचंद के तीन पुत्र रघुवीर, जयसिंह, रामकुमार व पांच पुत्री सावित्रीदेवी, लिछमादेवी, मोहरा, सुमित्रा व सोनिया के अलावा अन्य कोई वारिस होना नहीं बताया गया है। वाद भूमि रोही मोजा बुढेर के खाता सं० 93/85 के खसरा सं० 226/277 की 3.9840 है बारानी खातदारी प्रतिवादी सं० 1 श्योचंद के नाम यथावत रखते हुए शेष रोही मोजा शिवदानपुरा के खाता सं० 131/125 के खसरा सं० 91 की 1.6700 है, खसरा सं० 336 की 13.4050 है, खसरा सं० 362/287 की 0.7080 है, खसरा सं० 363/287 की 2.5290 है, खसरा सं० 364/287 की 0.7080 है कुल 19.0200 है में से प्रतिवादी सं० 1 श्योचंद का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी सं० 2 व 3 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जावें। चूकिं प्रतिवादी सं० 1 व 4 ता 8 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं० 2 व 3 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पत्ति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।।

कियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा शिवदानपुरा के खाता सं० 131/125 के खसरा सं० 91 की 1.6700 है, खसरा सं० 336 की 13.4050 है, खसरा सं० 362/287 की 0.7080 है, खसरा सं० 363/287 की 2.5290 है, खसरा सं० 364/287 की 0.7080 है कुल 19.0200 है में से प्रतिवादी सं० 1 श्योचंद का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी सं० 2 व 3 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। चूकिं प्रतिवादी सं० 1 व 4 ता 8 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं० 2 व 3 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी रघुवीर व प्रतिवादी सं० 2 जयसिंह, प्रतिवादी सं० 3 रामकुमार को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24.06.21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



सहसत्यनासयं
(फास्ट ट्रैक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़